



Neutral Citation No-2026:AHC:9452

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4857 वर्ष 2025

राजेश चौधरी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोईज़ उद्दीन

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ: -

"(I). प्रतिपक्षी संख्या-2 को धारा 9 के (2), चकबंदी अधिकारी, बृजमनगंज, जिला-महाराजगंज के समक्ष लंबित चकबंदी अधिनियम के तहत मामला संख्या-201354054752010214(राज्य बनाम रामदेव और अन्य) का फैसला करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

II. ऐसी अन्य और आगे उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उपयुक्त समझे।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत आपति 2017 से विचाराधीन है, इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त कार्यवाही में प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए जाने की स्थिति में स्थायी अधिवक्ता को कोई आपति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी, बृजमानगंज, जिला-महाराजगंज (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश देकर, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है। जिसके समक्ष उपरोक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः, निर्णय लेने के लिए।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 14, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)